न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 41/2019 **दायर तारीख : 08.07.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. बोदूराम पुत्रान सुगाराम
2. सीताराम

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा (मनोहरपुर) तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

——वादीगण

बनाम

1. गैन्दालाल पुत्र जमना जाति मणियार निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.09.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 339/0.65 कुल किता 1 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में वादीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/2 नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। आराजी मुतनाजा का हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक हिस्सा काश्त कर लगान अदा करते आ रहे है। आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी [illegible] के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी की उपजाऊ भूमि की हडपने की धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम पालडी के खसरा नंबर 339/0.68 कुल किता 1 कुल रकबा 0.65

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खसरा नंबर 339 संवत् 2076–2079, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पालडी आदि पेश किए है।

3. दावा बतौर वाद दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

सत्यमेव जयते
eCopy - Not Official

4. तारीख पेशी दिनांक 21.08.2019 को वकील वादीगण की बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। बहस बाद मनन प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 26.09.2019 को कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई।

6. विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 339/0.65 कुल किता 1 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में वादीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/2 नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। आराजी मुतनाजा का हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक हिस्सा काश्त कर लगान अदा करते आ रहे है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ बना रखा है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी की उपजाऊ भूमि को हड़पने की धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 26.09.2019 को प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गैन्दालाल पुत्र जमना जाति मणियार सा. देह खातेदार	339/0.3250 हैक्टेयर
2	बोदूराम, सीताराम पिता सुगाराम जाति अहीर(यादव) सा. कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा खातेदार	339/1/0.3250 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. बोदूराम } पुत्रान सुगाराम
2. सीताराम }

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा (मनोहरपुर) तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 **——वादीगण**

बनाम

1. गैन्दालाल पुत्र जमना जाति मणियार निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकद्मा नम्बर / नजरसानी संख्या 41/2019 **दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पेरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी के खसरा नंबर 339/0.68 कुल किता 1 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में बंटवारा कर वादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	गैन्दालाल पुत्र जमना जाति मणियार सा. देह खातेदार	339/0.3250 हैक्टेयर
2	बोदूराम, सीताराम पिता सुगाराम जाति अहीर(यादव) सा. कल्याणपुरा तहसील	339/1/0.3250 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

WebCopy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

मुबलिग..........शून्य............................ बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.09.2019 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh
Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested